MEMORIAL HERMANN SURGICAL HOSPITAL FIRST COLONY
पॉलिसी

पॉलिसी का शीर्षक : वित्तीय सहायता पॉलिसी (Financial Assistance Policy)

प्रकाशन की तारीख: 02/11/2019
संस्करण : 3

पॉलिसी का प्रयोजन :

इस वित्तीय सहायता पॉलिसी ("FAP") का उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका निर्धारित करना है, जिन्हें Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony("MHSHFC") अपने समुदाय में सेवाएं देता है।

MHSHFC, Memorial Hermann Health System (MHHS) की संबद्ध कंपनी है, जो MHHS की छूट को आगे बढ़ाने के उद्देश्य को पूरा करती है।MHHS आंतरिक राजस्व कोड § 501(c)(3) राज्य लाइसेंस प्राप्त अस्पतालों का संचालन करता है जो हैरिस, मॉंटगोमरी, फोर्ट बेंड और आसपास के कॉउंटीज़ को सेवा देतें हैं। MHSHFC बिना किसी भेदभाव के और रोगियों की भुगतान करने की क्षमता की परवाह किए बिना ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता के आवेदन में समुदायिक लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनके पास कोई बीमा नहीं है या जो बीमित है, इसके साथ ही जिन्हें आपातकालीन या चिकित्या की आवश्यक सेवाओं की आवश्यकता है।

कार्यक्षेत्र :

यह FAP, राज्य-लाइसेंस प्राप्त अस्पताल सुविधा, Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony पर लागू है, जो MHHS की छूट को आगे बढ़ाने के उद्देश्य को पूरा करने का काम करता है।

पॉलिसी विवरण:

1. MHSHFC के सहानुभूति और नेतृत्व के मूल्यों के अनुरूप, ज़रूरतमंद रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना MHSHFC की नीति है।इसके अलावा, इस FAP का उद्देश्य वह ढांचा प्रदान करना है जिसके अंतर्गत MHSHFC प्रदत्त आपातकालीन या चिकित्सीय आवश्यक देखभाल की ज़रूरत वाले रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

2. यह FAP विशिष्ट मापदंड और आवेदन प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसके तहत MHSHFC उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जो प्राप्त सेवाओं के लिए पूर्ण भुगतान नहीं कर पाते।

3. MHSHFC द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी आपातकालीन या चिकित्सीय आवश्यक पर यह FAP लागू है।यह FAP, अस्पताल के बाहर के चिकित्सा सेवा प्रदाताओं पर नहीं है और चिकित्सक सेवाओं पर लागू नहीं है।इस FAP के तहत अस्पताल सुविधा में आपातकालीन या अन्य चिकित्सीय आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने वाले प्रदाताओं की और जिन प्रदाताओं की सुविधाएं इस FAP में नहीं आती, उनकी सूची आप हमारी इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं: http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/. मुफ्त काग़ज़ी प्रति यां आपातकाल विभाग और अस्पताल क्षेत्रों में अनुरोध पर उपलब्ध हैं।मुफ्त काग़ज़ी प्रति यां डाक से या (281) 312-281-312-4000, विकल्प 5 पर कॉल करने पर भी उपलब्ध हैं।

4. FAP, MHSHFC द्वारा वित्तीय सहायता छूट, यदि कोई हो तो, की गणना करने में इस्तेमाल किए गए मापदंडों को, MHSHFC द्वारा इस FAP को MHSHFC द्वारा सेवा समुदाय में व्यापक रूपसे प्रचारित करने के उपायों, MHSHFC द्वारा इस्तेमाल वित्तीय सहायता की पात्रता को निर्धारित करने की प्रक्रिया और वित्तीय सहायता आवेदन को वर्णित करता है। भुगतान न करने की स्थिति में MHSHFC द्वारा की जा सकने कार्यवाईयाँ एक अलगपॉलिसी, MHSHFC बिलिंग और संग्रहण पॉलिसी में वर्णित हैं।यह पॉलिसी MHSHFC की इस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है: http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/,या एक मुफ्त काग़ज़ी प्रति आपातकाल विभाग या अस्पताल पंजीकरण क्षेत्रों में उपलब्ध है।मुफ्त प्रति यां डाक से या (281) 312-4012 या 281-312-4000, विकल्प 5 पर कॉल करने पर भी उपलब्ध हैं।

5. वित्तीय सहायता का पात्र बनने के लिए रोगियों को एक वित्तीय सहायता आवेदनपत्र भरना एवं ज़रूरीआवश्यक सहायक दस्तावेज़ों के साथ जमा करना होगा।जिन सेवाओं के लिए आप वित्तीय सहायता माँग रहे हैं, उसके लिए भेजे गए पहले बिलिंग विवरण के 240वें दिन तक वित्तीय सहायता के आवेदनपत्र मान्य हैं।प्रक्रिया अनुच्छेद 9 के अनुसार वर्णित अपवाद दिए जा सकते हैं।इस FAP में कुछ भी आज या भविष्य में लागू संघ, राज्य या स्थानीय कानूनों या अधिनियमों से अधिक प्राथमिकता नहीं रखता है।
6. लागू वित्तीय सहायता छूट लागू होने के बाद, रोगी द्वारा भरी गई कोई भी अधिक राशि देखभाल की सभी योग्य घटनाओं के लिए वापस की जाएगी।

7. MHSHFC ने FAP पात्रता निर्धारित करने के लिए उचित प्रयास किए हैं या नहीं, यह निर्धारित करने का अंतिम अधिकार MHSHFC रोगी व्यवसाय कार्यालय के पास है।इस FAP का उद्देश्य सहानुभूति और नेतृत्व के मूल्यों के अनुरूपMHSHFC समुदाय को लाभ पहुँचाना है।इस FAP का अस्तित्व किसी विशिष्ट रोगी को वित्तीय सहायता देने की पेशकश करना नहीं है और न ही कोई अधिकार अनुबन्ध या दायित्व बनाना है।इस FAP को भविष्य में MHSHFC द्वारा अपडेट और निदेशक मंडल या उनके नामिती द्वारा उनके विवेकाधिकार में अनुमोदित किया जा सकता है।

8. यहाँ कथित नीतियाँ और प्रक्रियाएँ टेक्सास राजकीय विनियम और I.R.C § 501(r) और उससे जुड़े दिशानिर्देशों का पालन करने के प्रयोजन से बनाई गई हैं।

शब्द एवं परिभाषाएँ:

1. *आवेदनपत्र :* वित्तीय सहायता के लिए आवेदन रोगी द्वारा भरा जाना चाहिए।

2. *आवेदन की समयावधि:* आवेदन की समयावधि के दौरान, MHSHFC वित्तीय सहायता के लिए एक आवेदन प्राप्त करेगा और उसपर कार्यवाई करेगा।आवेदन की समयावधि व्यक्ति को देखभाल प्रदान करने की तिथि से शुरु होगी और देखभाल के पहले बिलिंग स्टेटमेंट के 240वें दिन के बाद खत्म होगी।

3. *सामान्यतः बिल की गई राशियाँ (AGB) :* वित्तीय सहायता के अहर्ताप्राप्त रोगियों को आपातकाल या चिकित्सीय आवश्यक देखभाल के लिए बीमाकृत रोगियों से सामान्यतः बिल की गई राशियों (AGB) से ज़्यादा चार्ज नहीं किया जाएगा।

    a. MHSHFC के AGB प्रतिशत को "लुक-बैक" तरीके से आंकलित किया जाता है, जो कि पिछले 12 महीने के कुल सकल शुल्कों द्वारा विभाजित स्वीकार्य मेडिकेयर सेवा के लिए शुल्क भुगतान का कुल योग है।यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोगियों को AGB से ज़्यादा चार्ज न किया जाए, वित्तीय सहायता के अर्हता रोगियों को दी जाने वाली छूट की AGB प्रतिशत के सामने समीक्षा की जाएगी।

    b. AGB के प्रतिशत , प्रतिदर्श A - बिल की गई राशियों की FAP की गणना, में पाए जा सकते हैं।

    c. संशोधित AGB प्रतिशत की वार्षिक तौर पर गणना की जाएगी और कैलेंडर वर्ष शुरु होने के 120वें दिन तक लागू कर दी जाएगी।

4. *वार्षिक सकल पारिवारिक आय:* संयुक्त राज्य आंतरिक राजस्व सेवा को प्रतिवेद्य , बाल पोषण के लिये किये गए किसी भुगतान को कम करके, परिवार की कर से पहले सभी स्रोतों से वार्षिक आय और नकद लाभ।पारिवारिक आय में, आमदनी, बेरोज़गारी मुआवज़ा, कर्मी मुआवज़ा, सामाजिक सुरक्षा , अतिरिक्त सुरक्षा आय, जन सहायता, सेवानिवृत्त सैनिक भुगतान, उत्तरजीवी लाभ, पेंशन या सेवानिवृत्ति आय, ब्याज, लाभांश, निर्वाह व्यय, बाल पोषण, और अन्य स्रोत शामिल है परंतु इन तक सीमित नहीं हैं।

5. *वैकल्पिक सेवाएं:* ऐसी स्थिति की उपचार सेवाएं जिसे तत्काल देखभाल की आवश्यकता नहीं है।वैकल्पिक सेवाओं में वे प्रक्रियाएं शामिल हैं जो रोगी के लिए लाभदायक हैं, परंतु जो अति-आवश्यक नहीं हैं और जिनमें चिकित्सीय ज़रूरी और चिकित्सीय ग़ैर ज़रूरी सेवाएं शामिल हैं, जैसे कॉस्मेटिक और दंत सर्जरी जो सिर्फ रूप सुधारने के लिये की जाती हैं या दूसरी वैकल्पिक प्रक्रियाएं जो सामान्यतः स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत नहीं आतीं।चिकित्सीय रूप से अनावश्यक वैकल्पिक सेवाएं वित्तीय सहायता के लिए मान्य नहीं होंगी।

6. *आपातकालीन सेवाएं:* गंभीर तीव्रता के गंभीर लक्षणों वाली किसी चिकित्सीय स्थिति (तेज़ दर्द समेत) वाले रोगी को प्रदत्त ऐसी तत्काल चिकित्सीय देखभाल सेवाएं जिनकी अनुपस्थिति से यथोचित रूप से व्यक्ति (या गर्भवती महिला, महिला या उसका अजात बच्चा) की सेहत को गंभीर नुकसान पहुँचने की अपेक्षा की जा सकती है, या शारीरिक कार्यों को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है, या अन्य शारीरिक अंग या भाग में गंभीर गड़बड़ी हो सकती है।

7. *असाधारण संग्रहण कार्यवाईयाँ* (*ECAs*)*:*ये कानूनी या न्यायिक प्रक्रिया की वाली संग्रहण कार्रवाईयाँ हैं, जिसमें अन्य गतिविधियाँ जैसे ऋण को दूसरी पार्टी को बेचना या प्रतिकूल सूचनाओं को क्रेडिट एजेंसियों या ब्यूरो को रिपोर्ट करना शामिल हो सकता है। है। **MHSHFC, ECAs** से जुड़ा हुआ नहीं है और न ही यह अपने संग्रहण विक्रेता को **ECAs ECAs** से जुड़ने की अनुमति देता है।MHSHFC की संग्रहण नीतियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी MHSHFC की पृथक MHSHFC बिलिंग एवं संग्रहण पॉलिसी में पाई जा सकती है; है; इस नीति की मुफ्त प्रतियाँ ऑनलाइन इस पर उपलब्ध हैं: http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/ मुफ्त काग़ज़ी प्रतियाँ अनुरोध पर आपातकाल विभाग और अस्पताल पंजीकरण क्षेत्रों में या (281) 312-4012 या 281-312-4000, विकल्प 5 पर कॉल कर के भी पाई जा सकती हैं।

8. *परिवार:*रोगी, रोगी के पति या पत्नी/सिविल यूनियन पार्टनर, रोगी के माता-पिता या अभिभावक (यदि रोगी नाबालिग हो), और रोगी या उसके माता-पिता के आयकर रिटर्न पर दावाकृत अन्य आश्रित, और रोगी या उसके माता-पिता या अभिभावक के घर में रहने वाले आश्रित।

9. *संघीय निर्धनता स्तर* (*"FPL"*)*:*आय का वह स्तर जिस पर व्यक्ति निर्धनता के स्तर पर माना जाएगा।यह आय स्तर परिवार की इकाई के आकार के अनुसार भिन्न होता है।यह निर्धनता स्तर वार्षिक रूप से संयुक्त राज्य स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग द्वारा अपडेट होता है और संघीय रजिस्टर में प्रकाशित होता है।इस FAP के उद्देश्य हेतु, इन प्रकाशित दिशानिर्देशों में इंगित निर्धनता स्तर सकल आय को दर्शाता है।इस FAP के उद्देश्य हेतु इस्तेमाल FPL वार्षिक तौर पर अपडेट किया जाएगा।वर्तमान FPLs प्रतिदर्श B - FAP के संघीय निर्धनता दिशानिर्देशों में पाए जा सकते हैं।

10. *वित्तीय सहायता:* वित्तीय सहायता का अर्थ है MHSHFC द्वारा सहायता देना, ऐसे रोगियों को जो विशेष वित्तीय और अन्य पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं, जैसा कि FAP में निर्दिष्ट है, MHSHFC द्वारा दी गई आकस्मिक या चिकित्सा संबंधी आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का भुगतान करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन प्राप्त करने में उन्हें मदद करने के लिए। पात्र रोगियों में बिना बीमा वाले रोगी, कम आय वाले रोगी हो सकते हैं और आंशिक कवरेज वाले रोगी भी हो सकते हैं, लेकिन वह अपने चिकित्सा बिल का कुछ या पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ हैं।

11. *चिकित्सीय आवश्यक सेवाएं:*नैदानिक, सीधी देखभाल और चिकित्सीय स्थिति के उपचार के लिए प्रदान की गई वे सेवाएँ या आपूर्तियाँ जो स्थानीय क्षेत्र में अच्छे चिकित्सा अभ्यास मानकों को पूरा करती हैं, मेडिकेयर और मेडिकेड कार्यक्रमों द्वारा कवर की जाती हैं और चिकित्सीय रूप से आवश्यक मानी जाती हैं, और मुख्यतः रोगी या चिकित्सक की सहूलियत के लिए नहीं होती हैं।चिकित्सीय आवश्यक सेवाओं में कॉस्मेटिक सर्जरी और ग़ैर-चिकित्सीय सेवाएं, जैसे सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक सेवाएं शामिल नहीं हैं।

12. *सरल भाषा में सारांश* (*"PLS"*)*:* MHSHFC के FAP के सरल सारांश में शामिल है: (a) पात्रता संबंधी आवश्यकताओं और दी जाने वाली सहायता के बारे में संक्षिप्त विवरण; (b) उन वेबसाइट और स्थानों की सूची, जहां से वित्तीय सहायता आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं; (c) FAP की मुफ़्त कॉपी प्राप्त करने संबंधी निर्देश; (d) आवेदन प्रक्रिया में सहायता के लिए सम्पर्क सूचना; (e) FAP और संबंधित दस्तावेज़ों के भाषा अनुवादों की उपलब्धता ; और (f) एक स्टेटमेंट यह पुष्टि करते हुए कि रोगी जिन्हें वित्तीय सहायता के लिए योग्य पाया गया है उनसे आपातकाल या चिकित्सीय आवश्यक सेवाओं के लिए सामान्यतः बिल की गई राशि से ज़्यादा शुल्क नहीं लिया जाएगा।

13. *उचित प्रयास:* MHSHFC अस्पताल से छुट्टी से पहले रोगी को FAP का सरल भाषा में सारांश पेश करके रोगी को MHSHFC के FAP की अधिसूचना देने का उचित प्रयास करेगा।इसके अलावा, MHSHFC रोगियों को MHSHFC के FAP के बारे में जानकारी देने के लिए निम्नलिखित प्रयास करेगा:

    a. *अधूरे आवेदनपत्र:*यदि रोगी और/या उसका परिवार अधूरा आवेदनपत्र जमा करते हैं, तो MHSHFC एक लिखित अधिसूचना प्रदान करेगा जो यह बताएगा कि कौन सी अतिरिक्त जानकारी या प्रलेख आवश्यक हैं।

    b. *पूर्ण आवेदनपत्र:*यदि रोगी और/या रोगी के परिवार का सदस्य एक पूर्ण वित्तीय सहायता आवेदनपत्र जमा करता है, तो MHSHFC यह प्रलेखित करते हुए एक लिखित अधिसूचना प्रदान करेगा जो समयोचित रूप से यह बतायेगा कि रोगी वित्तीय सहायता के लिए पात्र है या नहीं और रोगी को इस निर्धारण के बारे (इसके समेत कि रोगी किस सहायता के लिए पात्र है, यदि लागू हो तो) और निर्धारण के आधार के बारे में लिखित सूचना देगा।इस अधिसूचना में वित्तीय सहायता प्रतिशत राशि (अनुमोदित आवेदनपत्रों के लिए) या नामंज़ूरी का(के) कारण, और जहाँ लागू हो रोगी और/या उसके परिवार से अपेक्षित भुगतान शामिल होगा।पूर्ण आवेदनपत्र के मूल्यांकन के दौरान रोगी और/या उसका परिवार स्टेटमेंट्स प्राप्त करता रहेगा।

    c. *रोगी का विवरण:* MHSHFC रोगी के खाते और देय राशि का वर्णन करने वाले बयानों की एक श्रृंखला भेजेगा। रोगी के बयानों में यह अनुरोध शामिल होगा कि रोगी किसी भी उपलब्ध स्वास्थ्य बीमा कवरेज, MHSHFC के FAP के नोटिस, वित्तीय सहायता के लिए एक टेलीफ़ोन नंबर, और वेबसाइट के पते पर जहां FAP दस्तावेज़ प्राप्त कर सकता है, को सूचित करने के लिए जिम्मेदार है।

    d. *MHSHFC की वेबसाइट*: वित्तीय सहायता आवेदन प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए, MHSHFC की वेबसाइट वित्तीय सहायता की उपलब्धता अधिसूचना को मुख्य स्थान स्थान पर पोस्ट करेगी।MHSHFC इस FAP को, FAP के तहत कवर किए गए और नहीं कवर किए गए प्रदाताओं की एक सूची, सरल भाषा में सारांश, वित्तीय सहायता आवेदन और बिलिंग एवं संग्रहण नीति के साथ MHSHFC की इस इस वेबसाइट पर पोस्ट करेगा: http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/. MHSHFC द्वारा इन दस्तावेज़ों की मुफ्त काग़ज़ी प्रतियाँ आपातकाल विभाग और पंजीकरण क्षेत्रों में अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

14. *कम बीमा वाले रोगी:*एक रोगी जो बीमा पॉलिसी के अंतर्गत पूर्णतः या आंशिक तौर पर सुरक्षित है और जिसे उसे दी गई आकस्मिक या चिकित्सीय आवश्यक देखभाल के कारण अपनी भुगतान करने की क्षमता से ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है।

15. *अबीमाकृत रोगी:*एक रोगी जो न तो किसी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत पूर्णतः या आंशिक तौर तौर पर सुरक्षित है और न ही किसी सार्वजनिक या निजी स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य लाभ, या या अन्य स्वास्थ्य कवरेज़ कार्यक्रम (सीमा रहित, निजी बीमा, Medicare, या Medicaid, या अपराध पीड़ित सहायता समेत) और श्रमिकों के मुआवजे, ऑटोमोबाइल

बीमा, या दायित्व या अन्य तृतीय पक्ष बीमा के प्रयोजनों के लिए जिनकी चोट क्षतिपूर्ति नहीं नहीं है, जैसा कि MHSHFC द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सेवाओं के लिए MHSHFC द्वारा दस्तावेज़ों और रोगी द्वारा दी गई या अन्य स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

समीक्षा मापदंड:

1. *संप्रेषण:*हमारे रोगियों, परिवारों, और व्यापक समुदाय को वित्तीय सहायता उपलब्धता के बारे में अवगत कराने के लिए, MHSHFC अपने अस्पताल में आने वाले रोगियों और आगंतुकों को वित्तीय सहायता की उपलब्धता की जानकारी देने के लिए और प्रत्येक अस्पताल में सेवित व्यापक समुदाय के सदस्यों के बीच इस FAP को व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए कई कदम उठाएगा।इन उपायों में शामिल हैं:

   a. *रोगी की सहमति:*स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के पंजीकरण के समय जो स्वास्थ्य देखभाल सहमति दी जाती है उसमें एक स्टेटमेंट शामिल होता है कि यदि दान सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो अस्पताल में दाखिला या मदवार बिल या स्टेटमेंट प्राप्त होने पर पात्रता निर्धारण का अनुरोध किया जाना चाहिए।

   b. *वित्तीय परामर्श:*यदि MHSHFC रोगी अस्पताल के बिल के अपने हिस्से का भुगतान करने में कठिनाई का अनुमान लगाते हैं, तो अस्पताल के वित्तीय परामर्शदाता से इसके बारे में जानकारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।हमारे वित्तीय परामर्शदाता अबीमाकृत, कम बीमा वाले, या स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से जुड़ी वित्तीय दिक्कतें झेलने वाले रोगियों को सहायता प्रदान करने का हर प्रयास करेंगे।वित्तीय परामर्शदाता विभिन्न सरकारी वित्त पोषित कार्यक्रमों के लिए पात्रता के लिए रोगियों को स्क्रीन कर सकते हैं, कर्मी के मुआवज़े या देनदारी के दावे के लिए सहायता कर सकते हैं, विस्तारित समय भुगतान योजना तैयार कर सकते हैं, या वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने में रोगियों की मदद कर सकते हैं।

   c. *सरल भाषा में सारांश एवं आवेदनपत्र:* MHSHFC के FAP का सरल भाषा में सारांश और वित्तीय सहायता आवेदनपत्र की एक काग़ज़ी प्रति सभी रोगियों को सेवा के प्रारम्भिक व्यावहारिक समय पर प्रदान की जाएगी।MHSHFC द्वारा इन दस्तावेज़ों की मुफ्त काग़ज़ी प्रतियां आपातकाल विभाग और पंजीकरण क्षेत्रों में अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएंगी।मुफ्त काग़ज़ी प्रतियां डाक से या 281-312-4012 या 281-312-4000, विकल्प 5 पर कॉल करने पर भी उपलब्ध हैं।

   d. *अनुवादित प्रतियाँ उपलब्ध:*MHSHFC अपने FAP, सरल भाषा में सारांश, वित्तीय सहायता आवेदनपत्र, और बिलिंग एवं संग्रहण पॉलिसीका सीमित अंग्रेज़ी कुशल व्यक्तियों के लिए अनुवाद करता है जो 5% से कम या अपनी अस्पताल सुविधाओं द्वारा सेवित समुदाय में 1000 व्यक्ति हैं।MHSHFC द्वारा इन दस्तावेज़ों की मुफ्त प्रतियां MHSHFC वेबसाइट पर और आपातकाल विभाग और अस्पताल पंजीकरण क्षेत्रों में अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएंगी।मुफ्त काग़ज़ी प्रतियां डाक से, 281-312-4012 या 281-312-4000, विकल्प 5 पर कॉल करने पर भी उपलब्ध हैं।

e. *चिह्न:*सभी वित्तीय सहायता चिह्न साफ एवं स्पष्ट तरीके से उन स्थानों पर लगाए जाएंगे जहाँ से वह लोगों को दृश्यमान होंगे जिसमें आपातकाल विभाग और रोगी पंजीकरण क्षेत्र शामिल हैं पर इस तक सीमित नहीं हैं।चिह्न वित्तीय सहायता की उपलब्धता और अधिक जानकारी के लिए वित्तीय परामर्शदाता के फ़ोन नंबर को दर्शाएंगे।

f. *वेबसाइट:*वित्तीय सहायता आवेदन प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए, MHSHFC की वेबसाइटें वित्तीय सहायता की उपलब्धता अधिसूचना को मुख्य स्थान पर पोस्ट करेंगी।MHSHFC इस FAP के साथ, इस FAP में जो सेवा प्रदाता शामिल हैं और जो नहीं शामिल हैं उनकी सूची, सरल भाषा में सारांश, वित्तीय सहायता आवेदन, और बिलिंग एवं संग्रहण पॉलिसी MHSHFC वेबसाइट पर पोस्ट करेगा: करेगा: http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/.

g. *रोगी बिल एवं स्टेटमेंट्स:*रोगी स्टेटमेंट्स में यह अनुरोध कि रोगी अपने किसी भी स्वास्थ्य बीमा कवर के बारे में MHSHFC को सूचित करने के लिए ज़िम्मेदार है; MHSHFC FAP की एक अधिसूचना शामिल होगी, वित्तीय सहायता अनुरोध के लिए एक टेलीफ़ोन नंबर और एक वेबसाइट पता जहाँ से वित्तीय सहायता दस्तावेज़ पाए जा सकते हैं, शामिल होगा।

h. डाक या फैक्स:रोगी इन दस्तावेज़ों की मुफ्त प्रतियां पाने के लिए निम्नलिखित पते पर लिखित अनुरोध अपने पूरे नाम और पता जहाँ वे MHSHFC से प्रतियाँ मंगवाना चाहते हैं, के साथ डाक या फैक्स कर सकते हैं।

Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony
Attn: Financial Assistance
16906 Southwest Freeway
Sugar Land, Texas 77479
फ़ैक्स: 281-566-54717

2. *पात्रता निर्धारण:*वित्तीय सहायता का निर्धारण प्रक्रियाओं के अनुसार होता है जिसमें वित्तीय आवश्यकता का एक व्यक्तिगत मूल्यांकन शामिल होता है।ये प्रक्रियाएं नीचे समझायी गयी हैं:

a) एक वित्तीय सहायता आवेदन प्रक्रिया जिसमें रोगी या गारंटर से वित्तीय आवश्यकता के निर्धारण के लिए सहयोग और वैयक्तिक या वित्तीय जानकारी प्रदान करना और प्रासंगिक -दस्तावेज़ प्रदान करना अपेक्षित है;

b) MHSHFC यह निर्धारित करने का उचित प्रयास करेगा कि व्यक्ति FAP पात्र है या नही, जिसमें अस्पताल से छुट्टी से पहले रोगी को सरल भाषा में सारांश पेश करके रोगी को MHSHFC की FAP की अधिसूचना देने का उचित प्रयास करेगा।इसके अलावा, MHSHFC रोगियों को MHSHFC की FAP के बारे में जानकारी देने के लिए निम्नलिखित प्रयास करेगा:

i) *अधूरे आवेदनपत्र:*यदि रोगी और/या उसका परिवार अधूरा आवेदनपत्र जमा करता करता है, तो MHSHFC एक लिखित अधिसूचना प्रदान करेगा जो यह बताएगा कि

कि कौन सी अतिरिक्त जानकारी या प्रलेख प्रारंभिक आवेदन प्राप्त होने के पैंतालीस पैंतालीस (45) दिनों के भीतर आवश्यक हैं।

ii) *रोगी स्टेटमेंट्स:*रोगी स्टेटमेंट्स में यह वक्तव्य कि रोगी अपने किसी भी स्वास्थ्य बीमा कवर के बारे में MHSHFC को सूचित करने के लिए ज़िम्मेदार है और MHSHFC के FAP की एक अधिसूचना, वित्तीय सहायता अनुरोध के लिए एक टेलीफ़ोन नंबर और एक वेबसाइट पता जहाँ से FAP प्रलेख पाए जा सकते हैं, शामिल होगा।

iii) *MHSHFC की वेबसाइट:*वित्तीय सहायता आवेदन प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए, MHSHFC की वेबसाइटें वित्तीय सहायता की उपलब्धता अधिसूचना को मुख्य स्थान स्थान पर पोस्ट करेंगी।MHSHFC की वेबसाइट पर: http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/, MHSHFC इस FAP के साथ, FAP के तहत जो सेवा प्रदाता शामिल हैं और जो जो नहीं शामिल हैं उनकी सूची, सरल भाषा में सारांश, वित्तीय सहायता आवेदन आवेदन और बिलिंग एवं संग्रहण पॉलिसी पोस्ट करेगा।

iv) *अनुरोध पर उपलब्धदस्तावेज़:* MHSHFC इस FAP के साथ, इस FAP में जो सेवा प्रदाता शामिल हैं और जो नहीं शामिल हैं उनकी सूची, सरल भाषा में सारांश, वित्तीय सहायता आवेदन और बिलिंग एवं संग्रहण पॉलिसी की मुफ्त काग़ज़ी प्रतियाँ अनुरोध पर आपातकाल विभाग और पंजीकरण क्षेत्रों में उपलब्ध कराएगा।

c) रोगी या गारंटर की भुगतान करने की क्षमता जिनमें TransUnion या Experian के क्रेडिट स्कोर शामिल हैं, पर जानकारी देने वाले बाहरी सार्वजनिक उपलब्ध डेटा स्रोतों का उपयोग;

d) रोगी की MHSHFC से प्राप्त पूर्व सेवाओं का बकाया और रोगी के भुगतान या बकाया डूबे हुए ऋण के इतिहास की समीक्षा;

e) MHSHFC द्वारा प्रदान किए जाने वाले वित्तीय सहायता के स्तर आय, परिवार के आकार और FPL पर आधारित हैं।अबीमाकृत और बीमाकृत रोगी, दोनों वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं; और

f) वित्तीय सहायता के लिए रोगी की पात्रता निम्न मापदंडों पर आधारित होगी और रोगी की वित्तीय स्थिति, दुर्गम वित्तीय परिस्थिति और तृतीय पार्टी के स्वास्थ्य देखभाल लाभों की उपलब्धता के आधार पर भिन्न हो सकती है।पात्रता दिशानिर्देश संघीय सरकार के द्वारा FPL दिशानिर्देशों के प्रकाशित होने के बाद हर वर्ष संशोधित किए जाएंगे।निम्नलिखित दिशानिर्देशों से ज़्यादा आय वाले परिवारों की भुगतान योजना पर विचार के लिए जाँच हो सकती है।

3. *रोगी वित्तीय सहायता पात्रता:* FPL के आधार पर, वित्तीय सहायता के लिए अबीमाकृत और कम बीमा वाले रोगियों को दी जाने वाली छूट निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड प्रयोग किए जाएंगे।कम बीमा वाले रोगियों को दान के लिए पात्र बनने से पहले अपना बीमा बिल करा लेना चाहिए।यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोगियों को AGB से ज़्यादा चार्ज न किया जाए, वित्तीय सहायता के अर्हता रोगियों को दी जाने वाली छूट की AGB प्रतिशत के सामने समीक्षा की जाएगी।

a. **मुफ्त देखभाल:**

i. यदि एक अबीमाकृत रोगी की वार्षिक सकल पारिवारिक आय, सकल आय वित्तीय सहायता पात्रता टेबल में निर्धारित मौजूदा संघीय निर्धनता दिशानिर्देशों के दो सौ प्रतिशत (200%) के बराबर या उससे कम है, (प्रतिदर्श A – सामान्यतः बिल की गई राशियाँ की गणना) तो रोगी (या अन्य जिम्मेदार पार्टी) नि:शुल्क (100% छूट) देखभाल का हकदार होगा और उसे शेष राशि के किसी भी भाग को नहीं देना होगा।

ii. मेडिकेयर के माध्यम से जिन रोगियों के पास प्राथमिक स्वास्थ्य कवरेज है और मेडिकेड के माध्यम से सेकंडरी कवरेज के लिए योग्य हैं तो उन्हें मेडिकेड बिलिंग और THMP या मैनेज्ड मेडिकेड पेअर से एक निर्णायक दावा प्राप्त होने के बाद शेष राशि पर एक सौ प्रतिशत (100%) छूट प्राप्त होगी।

b. **रियायती देखभाल:**

i. रोगी/व्यक्ति जिनकी वार्षिक सकल पारिवारिक आय मौजूदा संघीय निर्धनता दिशानिर्देशों के दो सौ प्रतिशत (200%) से ज़्यादा है परंतु चार सौ प्रतिशत (400%) से ज़्यादा नहीं है, वे बीमाकृत रोगियों से सामान्यतः बिल की गई राशि (AGB) प्रभार पर छूट के पात्र हो सकते हैं।

ii. जिन रोगियों के खातों में उनके अस्पताल के बिलों का बकाया शेष है, तो वे निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद छूट के पात्र हो सकते हैं:1) बकाया राशि व्यक्ति की सकल वार्षिक पारिवारिक आय के दस प्रतिशत (10%) से ज़्यादा है 2) वे बकाया बिल राशि के सकल या एक हिस्से को चुकाने में असमर्थ हैं; और 3) बकाया बिल कम से कम $5,000 है।इन परिस्थितियों में, रोगी या गारंटर से FAP प्रक्रिया के लिए सहयोग और वैयक्तिक या वित्तीय जानकारी प्रदान करना और पात्रता के निर्धारण के लिए प्रासंगिक प्रलेख प्रदान करना अपेक्षित है।अनुमोदन के बाद, रोगी बकाया खाता शेष के लिए उनकी वार्षिक सकल पारिवारिक आय के दस प्रतिशत (10%) अथवा उससे कम या लागू AGB छूट के बाद की राशि, जो भी कम हो और रोगी की वित्तीय स्थिति के लिए लाभदायक हो, देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

4. *पात्रता घटनाक्रम:*

a. अबीमाकृत रोगियों के लिये, वित्तीय सहायता और आनुमानिक पात्रता निर्धारण स्वतः भुगतान बकाए और वर्तमान देखभाल घटना पर पूर्वप्रभावी रूप से लागू होगी।रोगी की पात्रता प्रक्रिया धारा 3 में उल्लिखित कारकों के अनुसार निर्धारित निर्धारित की जाएगी और यह तीव्र या समयोचित भुगतान के लिए प्रतिकूल नहीं नहीं होगी।इसके अलावा, वित्तीय सहायता आवेदन पूरा करने वाले रोगियों को बिना उनके द्वारा किसी और कार्यवाही के छः महीने तक प्रत्याशित प्रभाव से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।रोगी की वित्तीय स्थिति में छः (6) (6) महीने के भीतर हुए किसी भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन जो उसकी वित्तीय सहायता पात्रता निर्धारण को प्रभावित कर सकता है, रोगी MHSHFC को

परिवर्तन के तीस दिनों (30) के भीतर संसूचित करेगा।पारिवारिक आय में महत्त्वपूर्ण सुधार का खुलासा करने में रोगी की विफलता, महत्त्वपूर्ण सुधार के बाद MHSHFC द्वारा वित्तीय सहायता के किसी भी प्रावधान को शून्य कर सकती सकती है।

5. *आकस्मिक या चिकित्सीय आवश्यक सेवाएं:* वित्तीय सहायता अस्पताल में दी गई आकस्मिक या चिकित्सीय आवश्यक सेवाओं तक ही सीमित है।इस धारा में कुछ भी MHSHFC के संघीय या राज्य कानून के अनुसार बिना रोगी के भुगतान करने की क्षमता देखे आपातकालीन चिकित्सीय स्थितियों के उपचार का सम्मान करने के दायित्वों या प्रथाओं को बदलने का इरादा नहीं रखती।

6. *आवेदन प्रक्रिया*

    a. *आवेदन कैसे करें:* वित्तीय सहायता आवेदनपत्र सहायक दस्तावेज़ों के साथ पूरा करके जमा कराना चाहिए।आवेदनपत्र की मुफ्त प्रतियां MHSHFC की इस वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं: http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/ मुफ्त काग़ज़ी प्रतियाँ आपातकाल विभाग में और अस्पताल पंजीकरण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं।मुफ्त काग़ज़ी प्रतियाँ डाक से या 281-312-4012 या 281-312-312-4000, विकल्प 5 पर कॉल करने पर भी उपलब्ध हैं।

    b. आवेदनकर्ता पूरे किए आवेदनपत्र को सहायक दस्तावेज़ों के साथ अस्पताल के वित्तीय परामर्शदाता को भेज या नीचे दिए पते पर मेल कर सकते हैं।रोगी, अस्पताल के वित्तीय परामर्शदाता को सूचना डेस्क पर जाकर और वित्तीय परामर्शदाता से बात करने का अनुरोध कर उनके साथ संपर्क कर सकते हैं।आवेदन प्रक्रिया पर जानकारी के लिए, आवेदनपत्र भरने में सहायता के लिएया जमा आवेदनपत्र की स्थिति पता करने के लिए, अस्पताल के वित्तीय परामर्शदाता वैयक्तिक रूप में सहायता के लिए अस्पताल में उपलब्ध हैं या इसके लिए आप 281-312-4012 या 281-312-4000, विकल्प 5 पर कॉल कर सकते हैं।

    c. पूरा किया गया आवेदन कहाँ भेजें:
    Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony
    Attn: Financial Assistance
    16906 Southwest Freeway
    Sugar Land, Texas 77479

    -या-

    फैक्स: 281-566-5417

    d. वित्तीय सहायता या आनुमानिक पात्रता के विचार के लिए अनुरोध निम्न में से कोई भी व्यक्ति आवेदन समयावधि के भीतर शुरु कर सकता है: (i) रोगी या गारंटर; (ii) रोगी या गारंटर का एक प्रतिनिधि; (iii) रोगी/आवेदन की ओर से MHSHFC का एक प्रतिनिधि; या (iv) रोगी को देखने वाला चिकित्सक।

e. इस FAP में अन्यत्र उल्लिखित विचारों के बाद भी, यह रोगी की ज़िम्मेदारी है कि वह वित्तीय सहायता आवेदन प्रक्रिया में सहायता करे और पूर्णतः भाग ले।इसमें किसी भी अन्य उपलब्ध तृतीय पार्टी स्वास्थ्य कवरेज की जानकारी प्रदान करना; सरकारी या अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से धन के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज़ो और प्रमाणपत्रों को समयोचित और स्पष्ट रूप से प्रदान करना (उदाहरणार्थ मेडिकेयर, मेडिकेड, तृतीय पार्टी दावा, अपराध पीड़ित फंडिंग आदि) या अन्य वित्तीय सहायता के लिए रोगी की पात्रता निर्धारण करना शामिल हैं।ऐसा करने में चूक रोगी के वित्तीय सहायता आवेदन को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है।रोगियों को MHSHFC के अनुरोध के तीस (30) दिनों के भीतर सूचना, प्रमाणीकरण और प्रलेख देने के लिए कहा जाता है, जब तक कि MHSHFC का ध्यान अकाट्य परिस्थितियों की तरफ नहीं लाया जाता।वित्तीय सहायता आवेदनपत्र को रोगी (या गारंटर/प्रतिनिधि) द्वारा पूरा कर के हस्ताक्षर करने चाहिए।

f. वित्तीय परामर्शदाता आवेदक को वित्तीय सहायता के आवेदन की प्रक्रिया में मदद कर सकता है।यदि रोगी की मृत्यु हो गई है और एक जिम्मेदार पार्टी की पहचान नहीं की गई है, तो एक MHSHFC प्रतिनिधि अनुरोध उत्पन्न कर सकता है और उपलब्ध जानकारी और दस्तावेज़ों का उपयोग करके आवेदनपत्र को पूरा कर सकता है।

8. *पारिवारिक आय:*

a. यदि ऐसे दस्तावेज़ उपलब्ध हों, तो रोगी निम्नलिखित में से एक या ज़्यादा दस्तावेज़ों को पारिवारिक आय सिद्ध करने के लिए प्रदान कर सकता है।यदि रोगी के परिवार में एक से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित में से एक या अधिक दस्तावेज़जमा करने होंगे:

i. हाल ही में दायर की गई संघीय आयकर रिटर्न;
ii. हाल ही का W-2 और 1099 फॉर्म;
iii. हाल ही का वेतनांश (या, यदि लागू होता हो, बेरोजगारी स्टेटमेंट की प्रतिलिपि, सामाजिक सुरक्षा पत्र, आदि);
iv. यदि नकदी में भुगतान किया हो तो नियोक्ता का स्टेटमेंट; या
v. पारिवारिक आय के लिए कोई अन्य तृतीय पार्टी सत्यापन।

b. वित्तीय सहायता का आवेदनपत्र दस्तावेज़ प्रदान करने में विफल रहने के आधार पर अपूर्ण नहीं माना जाएगा, यदि रोगी ने कम से कम एक दस्तावेज़ प्रदान किया हो जो ऊपर सूचीबद्ध परिवार के प्रत्येक सदस्य (रोगी सहित) की आय दर्शाता हो और सत्यापन पर हस्ताक्षर किए हों या यदि रोगी ऐसे प्रलेख प्रदान करने में असमर्थ हो, जिसने सत्यापन पर हस्ताक्षर किए हों।

c. आवेदक को आवेदनपत्र के सत्यापन पर हस्ताक्षर करने चाहिए।यदि बाद में साक्ष्य दर्शाते हैं कि आवेदक ने महत्त्वपूर्ण रूप से गलत जानकारी दी है तो MHSHFC किसी निर्धारण को रद्द या संशोधित कर सकता है।

अतिरिक्तदस्तावेज़: MHSHFC के FAP को संपत्ति या व्यय के दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होती है।फिर भी आवेदक संपत्ति, व्यय, आय, बकाया ऋण या अन्य परिस्थितियों के बारे में अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रदान करने का चयन कर सकते हैं, जो कि इस FAP के अनुसार पात्र वित्तीय सहायता की राशि के बराबर या उससे अधिक के वित्तीय सहायता अनुरोध समर्थन करने के लिए वित्तीय कठिनाई दिखाएंगे।

9. *झूठी या भ्रामक जानकारी:* यदि यह निर्धारित किया जाता है कि आवेदक ने जानबूझकर चिकित्सा व्यय का भुगतान करने की उनकी योग्यता के बारे में महत्त्वपूर्ण रूप से गलत या भ्रामक जानकारी प्रदान की है, तो MHSHFC आवेदक के वर्तमान या भविष्य के आवेदनपत्रों को नकार सकता है।बदनीयती के बिना दी गई झूठी जानकारी के मामले में, MHSHFC अपने निर्धारण का आधार सही की गई जानकारी पर रखेगा।यदि रोगी के द्वारा जानबूझकर दी गई महत्त्वपूर्ण झूठी जानकारी के आधार पर वित्तीय सहायता पहले से ही दी गई है, तो MHSHFC वित्तीय सहायता के पूर्व अनुदान को रद्द कर सकता है, जिस स्थिति में MHSHFC किसी भी बकाया राशि को रोगी से भुगतान करने की मांग के लिए सभी कानूनी अधिकारों को बरकरार रखता है।यदि महत्त्वपूर्ण गलत जानकारी अनजाने में दी गई हो, तो MHSHFC अपने निर्धारण को सही की गई जानकारी के अनुसार संशोधित करेगा।

अन्य संदर्भ:

रोगी स्थानांतरण पॉलिसी (EMTALA एवं टेक्सास स्थानांतरण अधिनियम अनुपालन)
वित्तीय सहायता का सरल भाषा में सारांश
वित्तीय सहायता का आवेदनपत्र
बिलिंग एवं संग्रहण पॉलिसी

<u>प्रतिदर्श :</u>

प्रतिदर्श A - सामान्यतः बिल की गई राशियाँ की गणना

प्रतिदर्श B - संघ निर्धनता संबंधी दिशानिर्देश

अगले पृष्ठ पर जारी।

प्रतिदर्श A - सामान्यतः बिल की गई राशियों की गणना

सामान्यतः बिल की गई राशि बिलिंग और कोडिंग प्रक्रिया पर आधारित है जिसे MHSHFC आपातकालीन या चिकित्सीय आवश्यक सेवाओं के लिए Medicare सेवा के बदले शुल्क में इस्तेमाल करता है।मेडिकेयर से कुल अनुमत भुगतान को ऐसे दावों के कुल बिल शुल्क से विभाजित किया जाएगा और AGB प्रतिशत की गणना करने के लिए उस संख्या को 1 से घटाया जाएगा।

IP (आंतरिक रोगी) के लिए AGB% = मेडिकेयर IP स्वीकार्य भुगतान/ मेडिकेयर IP कुल प्रभार
OP (बाह्य रोगी) के लिए AGB% = मेडिकेयर OP स्वीकार्य भुगतान/ मेडिकेयर OP कुल प्रभार

सुविधा-केंद्र	आंतरिक रोगी	बाह्यरोगी
Memorial Hermann Surgical Hospital -	30%	13%

वित्तीय वर्ष 2019 (जुलाई 2018- जून 2019) AGB राशियाँ इस प्रकार हैं:

सामान्यतः बिल की गई राशियाँ OP:13%
सामान्यतः बिल की गई राशियाँ IP:30%

अगले पृष्ठ पर जारी।

प्रतिदर्श B – संघ निर्धनता संबंधी दिशानिर्देश

जब संघीय निर्धनता संबंधी दिशानिर्देशों में बदलाव किए जाते हैं, तो सकल मासिक आय वित्तीय सहायता पात्रता टेबल संशोधित किया जाता है।टेबल वार्षिक तौर पर अपडेट किया जाता है।

सकल मासिक आय वित्तीय सहायता पात्रता टेबल वह हालिया आय टेबल है जिसे MHSHFC इस FAP के अंतर्गत वित्तीय सहायता पात्रता निर्धारण के लिए इस्तेमाल करता है।

सकल मासिक पारिवारिक आय वित्तीय सहायता पात्रता टेबल संघीय निर्धनता के दिशानिर्देशों और Harris County Hospital जिला पात्रता टेबल पर आधारित है, जो समय-समय पर संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा संशोधित किया जाता है और उक्त टेबल समीक्षा के लिए उपलब्ध है।

नीचे दी गई तालिका देखें:

Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony सकल आय वित्तीय सहायता पात्रता टेबल						
2019 संघीय निर्धनता दिशानिर्देश (FPG) पारिवारिक आकार के आधार पर वित्तीय सहायता के लिए पात्र होने के लिए सकल वार्षिक या मासिक आय।						
	FPG का 100%		FPG का 200%		FPG का 400%	
परिवार का आकार	वार्षिक आय	मासिक आय	वार्षिक आय	मासिक आय	वार्षिक आय	मासिक आय
1	$12,490	$1,041	$24,980	$2,082	$49,960	$4,163
2	$16,910	$1,409	$33,820	$2,818	$67,640	$5,637
3	$21,330	$1,778	$42,660	$3,555	$85,320	$7,110
4	$25,750	$2,146	$51,500	$4,292	$103,000	$8,583
5	$30,170	$2,514	$60,340	$5,028	$120,680	$10,057
6	$34,590	$2,883	$69,180	$5,765	$138,360	$11,530
7	$39,010	$3,251	$78,020	$6,502	$156,040	$13,003
8	$43,430	$3,619	$86,860	$7,238	$173,720	$14,477
8 व्यक्तियों से ज़्यादा की पारिवारिक इकाई के लिए, संघीय निर्धनता के दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए हर अतिरिक्त व्यक्ति के लिए $4,420 जोड़ें।						